STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
An ISO 9001 : 2008 Certified Institution

विस्तृत विवरणी

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन {पी.आर. सं. 11269 (Ni Ni) 2017-18} के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 6-Months Bridge Program (Certificate) in Community Health for Ayurveda Practitioner के पदों के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु तिथि, समय एवं स्थान का निम्नवत निर्धारित किया गया है:-

तिथि, समय एवं स्थान	**दिनांक 06.02.2018 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे से** **राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का कार्यालय,** परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14	
काउन्टर नं.	**काउन्टर नं.-01**	**काउन्टर नं.-02**
रौल नं.	**रौल नं.- 171217001 से 171217057 तक कुल 34 ऐसे अभ्यर्थी, जो qualify किये हैं।**	**रौल नं.- 171217058 से 171217117 तक कुल 34 ऐसे अभ्यर्थी, जो qualify किये हैं।**

उक्त साक्षात्कार में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा:-

i. मैट्रिक, इंटरमिडियेट एवं BAMS का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र

ii. राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

iii. आयुर्वेद में स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)

iv. निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षण कोटि का दावा हो)

v. पाँच रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो

vi. पहचान पत्र (Voter Card, Aadhar Card, Driving Licence, PAN Card etc.)

vii. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नि:शक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)

viii. स्वास्थ्य विभाग, बिहार में कार्यरत चिकित्सकों के लिए कार्यरत संस्थान के प्रभारी द्वारा योगदान एवं कार्यावधि की प्रामाणिकता पत्र

ix. भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (यदि लागू हो तो)

x. उपर्युक्त पद हेतु निम्नांकित प्रकार के अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं होंगे:-

   a) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

   b) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो अथवा, किसी विभागीय कार्यवाही के अधीन दण्डित हुए हों।

   c) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

   d) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

अतः अभ्यर्थियों को इस आशय का एक शपथ-पत्र भी संलग्न करना होगा कि उनके विरूद्ध उपर्युक्त में से कोई भी मामला/कार्यवाही दर्ज/विचाराधीन नहीं है।

अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्णित प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका दो सेट स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे; अन्यथा अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नही होगा।

<u>नोट-</u> यह लिखित परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन मात्र है एवं इससे उतीर्ण अभ्यर्थियों के चयन का दावा नहीं बनता है। चयन कोटिवार उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप लिखित परीक्षा के मेधाक्रम के आधार पर ही होगा तथा इस क्रम में जो अभ्यर्थी उतीर्ण होने के बावजूद चयनित नहीं हो पाते है उनके किसी भी दावे पर भविष्य की रिक्ति के विरूद्ध चयन पर विचार नहीं होगा।

(खालिद अरशद)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी, मानव संसाधन